

2016 का विधेयक संख्यांक 231

[दि इन्डिप्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (रेगुलराइजेशन) बिल, 2016 का हिन्दी रूपांतर]

डॉ उदित राज, संसद सदस्य

का

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2016

देश में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के नियमितीकरण और
सार्वभौमीकरण तथा उससे संसक्रत या उसके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सङ्गठनों वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

5 (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक, कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “आंगनवाड़ी केन्द्र” से ऐसा कोई केन्द्र अभिप्रेत है जिसका समुचित सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा, और इसमें देश में एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किए जा रहे सभी विद्यमान केन्द्र शामिल हैं;

(ख) “समुचित सरकार” से किसी राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार तथा अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत हैं; और

(ग) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं का नियमितीकरण और संस्थानीकरण।

पर्याप्त संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना।

3. बच्चों के समग्र विकास के लिए विद्यमान एकीकृत बाल विकास सेवाओं को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसी तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के अंतर्गत नियमित तथा संस्थानीकृत कर दिया गया माना जाएगा।

10

4. (1) समुचित सरकार देशभर में प्रत्येक बस्ती अथवा गांव में पर्याप्त संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करेगी।

15

(2) समुचित सरकार, प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में भूमि, भवन और सभी मूलभूत सुविधाएं जिसमें पोषक आहार, शैक्षणिक खेल, खिलौने, स्टेशनरी मर्डें, अधिगम और लेखन सामग्री, टेलीविजन सेट, कम्प्यूटर तथा ऐसी सामग्री उपलब्ध करवाएंगी, जो बच्चों के समग्र विकास और शिशु तथा माताओं के प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर देख-रेख सुविधाओं के लिए अपेक्षित हो।

(3) समुचित सरकार स्थानीय स्वशासन के ऐसे निकायों के माध्यम से और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण का विनियमन करेगी।

15

5. विद्यमान आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्य कर रहे ‘आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं’ और ‘सहायकों’ को इसके पश्चात् क्रमशः ‘आंगनवाड़ी अध्यापक’ और ‘आंगनवाड़ी सहायक’ के नामों से जाना जाएगा।

20

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का पुनः पदनामित किया जाना।

राष्ट्रीय समिति की स्थापना।

6. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय समिति होगा।

(2) राष्ट्रीय समिति निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्—

(i) विद्यमान आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के उपाय सुझाना;

(ii) ऐसे क्षेत्रों, जहां बच्चों के कुपोषण ग्रस्त होने के मामले पाए गए हैं, की पहचान करना और ऐसे क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की सिफारिश करना;

(iii) आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण की निगरानी करना;

(iv) आंगनवाड़ी अध्यापकों और सहायकों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करना;

(v) आंगनवाड़ी अध्यापकों और सहायकों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित करना;

(vi) आंगनवाड़ी अध्यापकों और सहायकों के रूप में व्यक्तियों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य मानदंड विहित करना;

30

(vii) आंगनवाड़ी केन्द्रों के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर वेतन, भत्ते, समयोपरि भत्ते, मानदेय, छुट्टी, भविष्य निधि तथा प्रसूति प्रसुविधा सहित अन्य प्रसुविधाओं की सिफारिश करना;

(viii) आंगनवाड़ी अध्यापकों और सहायकों तथा उनकी अवयस्क संतान को निःशुल्क स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा उपलब्ध करवाना;

35

- (ix) आंगनवाड़ी अध्यापकों और सहायकों को बीमा रक्षण प्रदान करना; और
- (x) बच्चों के समग्र विकास तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के कुशल कार्यकरण के लिए कोई अन्य उपाय सुझाना।
7. केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा उचित विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करना।
- 5 राष्ट्रीय समिति को आवश्यक निधियां जारी करेगी।
8. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों तथा जो ऐसी कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों, बना सकेगी:
- परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
- 10 9. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।
- (2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा 15 दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

एक समावेशी और समतामूलक समाज की ओर अग्रसर होने में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और उनकी आकांक्षाओं का महत्व सर्वोपरि है। सांविधानिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और महिलाओं तथा बच्चों से जुड़े मामलों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए यह आवश्यक है कि कुपोषण के उन्मूलन और आंगनवाड़ी केन्द्रों के विस्तार के लिए बने कार्यक्रमों में अधिक निवेश किया जाए। यह तथ्य है कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के दायरे में लाए जाने तथा उसके परिणामस्वरूप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के कार्यक्षेत्र में विस्तार किए जाने तथा उनके कार्य के घंटों में वृद्धि होने के कारण इन सेवाओं का तेजी से विकास हुआ है। उनको मानदेय के रूप में तुच्छ राशि देकर, विशेषरूप से तब जब उन्होंने लघ्व वर्षों तक सेवा की हो तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्कीम की सफलता का श्रेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों के कड़े परिश्रम को दिया गया हो, उनके साथ सामाजिक और मानद कार्यकर्ताओं जैसा व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों में धुल-मिलकर कार्य कर रहे हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कई प्रकार की गतिविधियों के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है—चाहे वह सर्वेक्षण हो, लघु बचत योजनाओं का संवर्धन हो, सामूहिक बीमा हो या अनौपचारिक शिक्षा। इसके बावजूद सेवाओं के नियमितीकरण और संस्थानीकरण की उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए, उनकी सेवा शर्तों और पारिश्रमिक में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण किए जाने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की भी आवश्यकता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक का आशय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के सार्वभौमीकरण, नियमितीकरण और संस्थानीकरण तथा स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों के विस्तार का उपबंध करना है।

अतः, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;

8 जुलाई, 2016
17 आषाढ़, 1938 (शक)

उदित राज

संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[लोक सभा के महासचिव को सम्बोधित महिला और बाल विकास मंत्री, श्रीमती मेनका गांधी के दिनांक 19 सितम्बर, 2016 के पत्र सं^o 20011/13/2016-सीडी-I की प्रति]।

राष्ट्रपति ने डॉ उदित राज, संसद सदस्य के एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2016 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अधीन विधेयक पर लोक सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 में केन्द्रीय सरकार द्वागा एकीकृत बाल विकास सेवाओं के नियमितीकरण और संस्थानीकरण का उपबंध है। खंड 4 में प्रत्येक बस्ती में पर्याप्त संख्या में मूलभूत सुविधाओं सहित आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना करने का उपबंध है। खंड 6 में आंगनवाड़ी केन्द्रों में काम कर रहे व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना का उपबंध है। खंड 7 में यह उपबंध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार इस विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय समिति को आवश्यक निधियां जारी करेगी। इस विधेयक के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें अपने राज्यों के संबंध में व्यय अपनी-अपनी संबंधित संचित निधियों में से करेंगी। अतः विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर प्रतिवर्ष लगभग दस हजार करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने की संभावना है।

इस पर लगभग एक सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

खण्ड 9 इस विधेयक के उपबंधों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि इन नियमों का संबंध केवल व्यौरे के मामलों से होगा, इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

देश में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के नियमितीकरण और
सार्वभौमीकरण तथा उससे संसक्त या
उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

(डॉ. उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—2890LS(S3)—05-11-2016.